(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मोटे अनाजों की औसत उत्पादन दर बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या इस क्षेत्र में भारत द्वारा किया जा रहा औसत व्यय अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) यद्यपि कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि यह देखा गया है कि निम्न आय वर्ग के लोगों का मुख्य आहार सामान्यता मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और छोटे कदन्न हैं।

(ख) और (ग) 1992-93 के दौरान मोटे अनाजों की प्रति हैक्टेयर औसत उपज 1065 कि. ग्राम थी, जो गेहूं की 2323 कि.ग्राम और चावल की 1744 कि.ग्रा. से कम है।

(घ) से (छ) जी, हां। किसी भी फसल के उत्पादन में सुधार को हमेशा ही गुंजाइश रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों ने विभिन्न कृषि जलवायु वाली परिस्थितियों के अनुकूल मोटे अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास तथा उनके लिए उचित उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में अनुसंधान का काम हाथ में लिया है। इसके परिणामस्वरूप, मोटे अनाजों की उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है, जो 1950-51 में 408 कि.ग्राम से बढ़कर 1970-71 में 665 कि.ग्रान, 1990-91 में 900 कि.ग्राम और 1992-93 में 1065 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का तथा कदन्न के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। "समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज" नामक एक केन्द्र प्रायोजित संशोधित योजना भी 1994-95 से 6 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

अन्य देशों से स्पष्ट तौर पर आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि इस देश में अनुसंधान पर किए जा रहे व्यय की अन्य देशों के साथ तुलना की जा सके। तथापि, सरकार ने फसलन पद्धति की नीति को अपनाकर सभी फसलों जिनमें मोटे अनाज भी शामिल हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और इस प्रक्रिया को लगभग समूचे देश में अपनाया गया है।

समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना

542. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यान्वित की जा रही समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना के संबंध में गुजरात राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गुजरात-सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, गुजरात सरकार के अनुरोध पर सहकारी विकास निगम ने सूरत, भरूच, बड़ोदरा, पंचमहल और खेड़ा जिलों में समेकित मात्स्यिकी परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दर्शाये गये है।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गुजरात राज्य में संस्वीकृत, की गई समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजनायें

क्रम सं०	जिला	जलाशय/परियोजना का नाम	समिति का नाम
1.	सूरत	1. केवड़ी	केवडी जेतपुर एम.एस.एम. लिमिटेड
		2. लखी	लखीगाम एम.एस.एम. लिमिटेड
		3. इस्सर	विसदला एम.एस.एम. लिमिटेड
		4. अमली	बुन्धा एम.एस.एम. लिमिटेड
2.	भरूच	1. भंगोरिया	भंगोरिया एम.एस.एम. लिमिटेड
		2. पिनग्विट	पिनग्विट एम.एस.एम. लिमिटेड
		3. बलदेवा	बलदेवा एम.एस.एम. लिमिटेड
		4. धोलेखम	धोलेखम एम.एस.एम. लिमिटेड
3.	बड़ोदरा	1. वदादला	वदादला एम.एस.एम. लिमिटेड
		2. धनोरा	धनोरा विरजय एम.एस.एम. लिमिटेड
		3. श्रीपोर्टिम्बी	नाथुबावा कहार एम.एस.एम. लिमिटेड
		4. वधवाना	वधवाना एम.एस.एम. लिमिटेड
		5. रामी	रामी एम.एस.एम. लिमिटेड
		6. जामली	जामली एम.एस.एम. लिमिटेड
		7. नलेज	नलेज एम.एस.एम. लिमिटेड
		8. अमलवाड	अमलवाड आदीवासी एम.एस.एम. लिमिटेड
		9. धनिया उमारिया	धनिया उमारिया एम.एस.एम. लिमिटेड
		10. तारधोला	तारधोला एम.एस.एम. लिमिटेड
		11. भांभर	डूंगरवाट एम.एस.एम. लिमिटेड
		12. जोगपुरा	डूंगरवाट एम.एस.एम. लिमिटेड
4.	पंचमहल	1. अडेलवाडा	अडेलवाडा एम.एस.एम. लिमिटेड
		2. मछनाला	मतसलई एम.एस.एम. लिमिटेड
		3. हदाफ	हदाफ एम.एस.एम. लिमिटेड
		4. देवदाम	देवदाम आदीवासी एम.एस.एम. लिमिटेड
		5. कारा	कारा एम.एस.एम. लिमिटेड
5.	खेड़ा	1. कोईडाम	भवानी एम.एस.एम. लिमिटेड
		2. रक्तेश्वर	पेरिएज एम.एस.एम. लिमिटेड
		3. पेरिएज	पेरिएज एम.एस.एम. लिमिटेड
		4. व्रंजा	दुर्गा एम.एस.एम. लिमिटेड
		5. नागारामा	लिम्बासी एम.एस.एम. लिमिटेड
		6. कनेवाल	कनेवाल एम.एस.एम. लिमिटेड
		7. हीरनचोकडी	जैकोडायर एम.एस.एम. लिमिटेड
		8. सल्ला (व्राज)	सल्ला एम.एस.एम. लिमिटेड
	कुल :	33	

नोट : एम.एस.एम.: मत्स्य उद्योग सहकारी मण्डली के लिए प्रयोग किया गया।